# कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/माध्य–द/22492/प्रवेशोत्सव/2019–20/ दिनांक : 20.06.19

**:: आदेश ::**

विषय :– दिनांक 2 जुलाई, 2019 को आयोज्य सामुदायिक बालसभा/प्रवेशोत्सव, शालादर्पण आदि के सम्बन्ध में दिनांक 25.06.2019 को प्रातः 10:00 बजे 02:00 बजे तक वीडियों कान्फ्रेसिंग के आयोजन बाबत्।

प्रसंग :– आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा/संस्कृत शिक्षा एवं राज. स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर के पत्रांक रास्कूशिप/जय /सामु. गति/बाल सभा/2018–19/2297 दिनांक19.06.19

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि तथा ठहराव सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयी गतिविधियों में जनसमुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रवेशोत्सव/बाल उत्सव के दौरान दिनांक 09 मई, 2019 को आयोजित सामुदायिक बाल सभा की भांति दिनांक 02.07.2019 को (प्रातः 8:00 बजे से 11:00 बजे तक) सार्वजनिक स्थल पर विशेष बाल सभाओं का आयोजन किया जाना है। सामुदायिक बालसभा के प्रभावी आयोजन एवं शालादर्पण पोर्टल के प्रभावी परिवेक्षण हेतु पूर्व तैयारियों के सम्बन्ध में चर्चा हेतु माननीय शिक्षा राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) की अध्यक्षता में दिनांक 25.06.2019 को प्रातः 10:00 बजे से 02:00 बजे तक वीडियो कान्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, जिसमें निम्नांकित अधिकारी आवश्यक रूप से भाग लेगें :–

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) – माध्यमिक/प्रारम्भिक समस्त जिले।
4. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
5. सहायक परियोजना समन्वयक – प्रथम, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
6. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) समस्त जिले।
7. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी समग्र शिक्षा अभियान समस्त ब्लॉक।
8. अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी – प्रथम, कार्यालय संभागीय संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।
9. अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक जिला अधिकारी – प्रथम (ब्लॉक शाला दर्पण प्रभारी) समस्त ब्लॉक।
10. सहायक निदेशक, कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (जिला शाला दर्पण प्रभारी) समस्त जिले।

ध्यान रहे समस्त जिला स्तरीय अधिकारी सम्बन्धित जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में अवस्थित डीओआईटी के वीडियो कान्फ्रेंस कक्ष में तथा समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सम्बन्धित पंचायत समितियों में अवस्थित डीओआईटी के राजीव गांधी सेवा केन्द्र में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगें।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

**प्रतिलिपि** : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.), राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) – माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
7. वीडियों कान्फ्रेन्स में संभागी समस्त अधिकारीगण।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
9. स्टॉफ ऑफिसर कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर